न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2019 – आ0नि0 प्रार्थना पत्र 14(4)

कालू आत्मज राजू भील निवासी– कल्याणपुरा (कोठिया) तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. सीताराम आत्मज श्री राजू भील निवासी– कल्याणपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलियाकलां जिला भीलवाडा।
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित –

1. श्री शोभाग कुमावत अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री भगवान शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 सीताराम पुत्र राजू भील को सरहद कल्याणपुरा पटवार हल्का अरवड पेटा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि दिनांक 18.02.2013 को आवंटित की है, जो नियमों के विरूद्ध की है। उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही विपक्षी संख्या 01 का आज कोई कब्जा है। शुरू से ही कब्जा प्रार्थी का ही चला रहा है। विपक्षी संख्या 01 का कब्जा नही होने से आवंटन के 5–6 साल हो जाने के बावजूद भी आज दिन तक गैर खातेदारी रूप में दर्ज आ रही है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्ट. जिस पर प्रार्थी का कब्जा है व प्रार्थी का विगत करीब 30–40 वर्षो से निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग करता चला आ रहा है व उक्त भूमि के तारबंदी कर रखी है व पोल लगा रखे है व ज्वार की फसल काश्त कर रखी है व प्रार्थी के विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही भी हुई है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की व आवंटन शर्तो अनुसार प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर व दूसरे वर्ष पूरे भू भाग पर फसल काश्त करनी चाहिये, जो आंवटी ने नही किया व आवंटन

शर्तो का उल्लंघन किया है। इस कारण से विपक्षी संख्या 01 का आवंटन निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी संख्या 01 सीताराम पुत्र राजू भील को सरहद कल्याणपुरा पटवार हल्का अरवड पेटा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि दिनांक 18.02.2013 को आवंटित की है, जो नियमों के विरूद्ध की है। उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही विपक्षी संख्या 01 का आज कोई कब्जा है। शुरू से ही कब्जा प्रार्थी का ही चला रहा है। विपक्षी संख्या 01 का कब्जा नही होने से आवंटन के 5–6 साल हो जाने के बावजूद भी आज दिन तक गैर खातेदारी रूप में दर्ज आ रही है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्ट. जिस पर प्रार्थी का कब्जा है व प्रार्थी का विगत करीब 30–40 वर्षो से निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग करता चला आ रहा है व उक्त भूमि के तारबंदी कर रखी है व पोल लगा रखे है व ज्वार की फसल काश्त कर रखी है व प्रार्थी के विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही भी हुई है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की व आवंटन शर्तो अनुसार प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर व दूसरे वर्ष पूरे भू भाग पर फसल काश्त करनी चाहिये, जो आंवटी ने नही किया व आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। इस कारण से विपक्षी संख्या 01 का आवंटन निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का अरवड पेटा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि दिनांक 18.02.2013 को आवंटित की है लेकिन विपक्षी सं. 01 को कब्जा नही दिया गया व न ही विपक्षी सं. 01 का कब्जा हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में चली आ रही हैं। मौके पर विपक्षी सं. 01 का कब्जा नही होने से एवं केवल कागजों में आवंटन रह जाने से उक्त आवंटन निरस्त कर दिये जाने पर विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं है। निवेदन हैं कि उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होने व विपक्षी सं. 01 को कब्जा नही देने से आवंटन निरस्त कर दिये जाने पर विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 21.10.2019 को जवाब पेश कर स्वयं ने निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का अरवड पेटा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील

फुलियाकलां जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि दिनांक 18.02.2013 को आवंटित की है लेकिन विपक्षी सं. 01 को कब्जा नही दिया गया व न ही विपक्षी सं. 01 का कब्जा हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में चली आ रही हैं। मौके पर विपक्षी सं. 01 का कब्जा नही होने से एवं केवल कागजों में आवंटन रह जाने से उक्त आवंटन निरस्त कर दिये जाने पर विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 स्वीकार योग्य ठहरता हैं।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कल्याणपुरा के आराजी नं. 482 रकबा 0.2100 हैक्ट. भूमि श्री सीताराम पुत्र राजू भील निवासी कल्याणपुरा के नाम भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.02.2013 को किया गया भूमि का आवन्टन खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार फुलियाकलां उक्त आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं तहसीलदार फुलियाकलां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:54:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: